जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।

विज्ञापन

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007, ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.12 एवं ज्ञापांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश सं0 5939 दिनांक 14.07.2016 में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पद पर नियुक्ति हेतु मात्र पूर्वी सिंहभूम जिला के अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 30.07.2017 के अपराह्न 5:00 बजे तक **"जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, Room No. – S4, नया समाहरणालय भवन, पुराना कोर्ट, साकची, जमशेदपुर–831001"** को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के द्वारा भेज सकते हैं। कार्यालय द्वारा सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

क्र0सं0	पदनाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित कोटि	आरक्षित कोटि			
				पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अ.ज.जा.	अ.जा.
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (वर्ग–2)	09	04	01	01	03	00
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) (वर्ग–2)	09	04	01	01	03	00

उपरोक्त दोनों रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इस जिले के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

(नोट :– रिक्तियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन हो सकता है।)

परिलब्धि :–

(1) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी – 19,500/– (उन्नीस हजार पाँच सौ) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

(2) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) – 19234/– (उन्नीस हजार दो सौ चौंतीस) रूपये प्रति माह अथवा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारण राशि के आधार पर पुनरीक्षित मानदेय।

नियुक्ति के लिए पदवार शैक्षणिक योग्यता एवं शर्तें निम्नवत है :–

(1) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित योग्यता :–

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक से उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

- ❖ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए./पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.बी.एम./पी.जी.डी.आर.डी., बी.सी.ए./बी.एस.सी. कम्प्यूटर/बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम.सी.ए./एम.एस.सी.(कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यता होगी। एम.बी.ए. एवं पी.जी.डी.बी.एम./पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.आर.डी. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.बी.ए./पी.जी.डी.बी.एम./पी.जी.डी.आर.डी. के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम.बी.ए. की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी.सी.ए. तथा सामान्य बी.एस.सी. कम्प्यूटर को बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनके प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
- ❖ एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम.सी.ए. की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी.जी.डी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी.सी.ए. या बी.एस.सी कम्प्यूटर साईंस या बी.एस.सी. कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी.जी.डी.सी.ए. किया हो अन्यथा पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम.सी.ए. की कोटि में रखा जायेगा।

(2) तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित योग्यता :–

(i) अनिवार्य योग्यता –

- ❖ सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता –

- ❖ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम.टेक. तथा पी.जी.डी.सी.ए./एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
- ❖ एम.सी.ए./एम.एस.सी. कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम.सी.ए. की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी.जी.डी.सी.ए. तथा एम.सी.ए. में समतुल्यता लाने हेतु पी.जी.डी.सी.ए. के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

वर्णित क्रमांक (1) एवं (2) के लिए सभी शैक्षणिक योगताएँ जिसकी सरकारी मान्यता हो, ही मान्य होगी

उपरोक्त सभी पदों के लिए अन्य अहर्ताएँ एवं शर्तें निम्नलिखित होंगे :–

1. सभी पद हेतु अभ्यार्थियों की आयु सीमा, भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेंगी। आयु सीमा की गणना दिनांक 01.06.2017 को आधार मानकर की जायेगी।
2. आवेदक भारत के नागरिक हों।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
4. सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतयाः संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

5. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा की कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्शिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम कंडिका 5 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) का पद जिला स्तरीय पद होगा। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन इस जिला के किसी प्रखण्ड में करने के लिए **उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक** सक्षम होंगे तथा उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
8. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
9. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
10. आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु जाति प्रमाण–पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।
11. अपूर्ण/अहस्ताक्षरित/विलंब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को होगा।

23/6

उप विकास आयुक्त
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।